न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 177 / 2024(जी.सी.एम.एस. 2024 / 293)

वादी बनाम	प्रतिवादीगण
1. गुरजीत कौर पत्नी निर्मल सिंह जाति जटसिख निवासी 2 टी मलकाना कलां तहसील श्रीकरणपुर।	1. अर्जन सिंह पुत्र काला सिंह जाति जटसिख निवासी 2 टी मलकाना कलां तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 09.09.2024

उपस्थितः 1. श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज रोजू अधिवक्ता वादी
2. श्री रोशन लाल राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

—निर्णय— **दिनांकः10.10.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 2 टी पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 02/02 के मुरब्बा नम्बर 41, 43 की कुल 4.800 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 35/04 के मुरब्बा नम्बर 41, 43 की कुल 4.800 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी एवं प्रतिवादी ने आपसी सहुलियत के अनुसार सहमति से बंटवारा किया हुआ है। वंटवारानामा अनुसार वादी का कब्जा काश्त चक 2 टी के खाता संख्या 2 के मुरब्बा नं0 41, 43 की कुल 4.800 हे0 भूमि मे से मुरब्बा नं0 43 के किला नं0 1 के 0.164 है0, किला नं0 2 के 0.253 है0, किला नं0 3 के 0.253 है0, 5 के 0.253 है0, किला नं0 6 के 0.253 है0 किला नं0 7 के 0.253 है0, किला नं0 8/1 के 0.209 है0 कुल 1.638 है0 भूमि पर है। प्रतिवादी का कब्जा काश्त चक 2 टी के खाता संख्या 35 के मुरब्बा नं0 41, 43 की कुल 4.800 है0 नहरी मय खाला रकबा में से मुरब्बा नं0 41 के किला नं0 21 के 0.253 है0, 22 के 0.253 है0, किला नं0 23/1 के 0.127 हैक्टेयर, किला नं0 6 के 0.253 हैक्टेयर, किला नं0 7 के 0.253 हैक्टेयर, किला नं0 8 के 0.253 है0, किला नं0 9 के 0.253 है0 में से 0.246 हैक्टेयर कुल 1.638 हैक्टेयर रकबा पर है। वादी व प्रतिवादी अपने अपने रकबा पर काविज अवश्य है, लेकिन दोनो का कब्जा काश्त के अनुसार रकबा अंकित नहीं है। हालांकि वादी ने कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत से भूमि को समतल करके, उसमें कई सुविधाओ का निर्माण किया है। वादी का जीवन निर्वाह व उज्जवल भविष्य कृषि भूमि पर निर्भर है, लेकिन राजस्व अभिलेख में मुताबिक कब्जा काश्त के रकबा अंकित नहीं है। आज से 5 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से राजस्व अंकन करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोपजनक जवाब नही दिया गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को राजस्व ग्राम 2 टी के खाता संख्या 2 के मुरब्बा नं0 41, 43 की कुल 4.800 है0 भूमि मे से मुरब्बा नं0 43 के किला नं0 1 के 0.164 है0, किला नं0 2 के 0.253 है0, किला नं0 3 के 0.253 है0, 5 के 0.253 है0, किला नं0 6 के 0.253 है0 किला नं0 7 के 0.253 है0, किला नं0 8/1 के 0.209 है0 कुल 1.638 है0 भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एवं उसके नाम में अंकन करने के आदेश व डिक्री जारी की जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा मिसल पेशी में लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, पत्रावली दिनांक 01.10.2024 को पेशी में ली गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशन लाल राठौड उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। नकल वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। जिसके अनुसार वादी का उक्त वादपत्र स्वीकार किया जाता है, तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। सामिल मिसल किया गया। हस्तगत प्रकरण में जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम सहमति का है। जवाब स्टेट बन्द है। इसलिए प्रकरण में वाद विन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रतिवादी को वादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

का वादपत्र व वादी को प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते।

3. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादी का वादपत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने की ईस्तदुआ की है। वादी के वादपत्र मय शपथपत्र, प्रतिवादी संख्या 1 के जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अत: अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादी इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी गुरजीत कौर को राजस्व ग्राम 2 टी पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 02/02 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 की 0.164 है0, किला नम्बर 2 की 0.253 है0, किला नम्बर 3 की 0.253 है0, किला नम्बर 5 की 0.253 है0, किला नम्बर 6 की 0.253 है0 किला नम्बर 7 की 0.253 है0, किला नम्बर 8/1 की 0.209 है0 कुल 1.638 है0 भूमि का व प्रतिवादी संख्या 1 अर्जन सिंह को राजस्व ग्राम 2 टी, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 35 के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 21 की 0.253 है0, किला नम्बर 22 की 0.253 है0, किला नम्बर 23/1 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 7 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 8 की 0.253 है0, किला नम्बर 9 की 0.246 हैक्टेयर कुल 1.638 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

[श्योराम] (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 10.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

[श्योराम] (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

गुरजीत कौर बनाम अर्जन सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 91, 188 आरटीए
मुकदमा नम्बर 177/2024
निर्णय दिनांक :- 10.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू, मनीष कुमार जागिंड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी गुरजीत कौर को राजस्व ग्राम 2 टी पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 02/02 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 की 0.164 है0, किला नम्बर 2 की 0.253 है0, किला नम्बर 3 की 0.253 है0, किला नम्बर 5 की 0.253 है0, किला नम्बर 6 की 0.253 है0 किला नम्बर 7 की 0.253 है0, किला नम्बर 8/1 की 0.209 है0 कुल 1.638 है0 भूमि का व प्रतिवादी संख्या 1 अर्जन सिंह को राजस्व ग्राम 2 टी, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू. अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 35 के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 21 की 0.253 है0, किला नम्बर 22 की 0.253 है0, किला नम्बर 23/1 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 7 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 8 की 0.253 है0, किला नम्बर 9 की 0.246 हैक्टेयर कुल 1.638 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर **रहेगे।**

आज दिनांक 10.10.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की **गई।**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांकः 10.10.2024

क्रमांकः रीडर/2024/532
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर